दिनांक14 सितम्बर,2014 को सम्पन्न आम सभा में
''संगम संचालन समिति'' का अनुमोदित विधान

रजिस्ट्रेशन संख्या 53/2004–05

विजयवर्गीय (वैश्य) राजसेवक परिषद, जयपुर के विधान की धारा 4 के अन्तर्गत राजस्थान आवासन मण्डल के माध्यम से आवंटित भूमि पर सामुदायिक केन्द्र के संचालन हेतु

उप–विधान

सेक्टर–26 पानी की टंकी के पास, प्रतापनगर, सांगानेर, जयपुर।

1ण	**नाम**	आवंटित भूमि का नामकरण ''संगम'' होगा।
2ण	**कार्यालय**	कार्यालय आवंटित भूमि स्थल सेक्टर–26 पानी की टंकी के पास, प्रतापनगर, सांगानेर, जयपुर पर रहेगा।
3ण	**स्वामित्व**	आवंटित भूमि का स्वामित्व विजयवर्गीय (वैश्य) राजसेवक परिषद, जयपुर के पास सुरक्षित रहेगा।
4ण	**भूमि का उपयोग**	भूमि का उपयोग– क–परिषद एवं विजयवर्गीय समाज के समय समय पर आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों यथा– सांस्कृतिक, सेमीनार, विभिन्न सभायें, शादी समारोह आदि हेतु ख–भूमि पर छात्रावास हेतु कमरों का निर्माण कराया जाकर स्थानीय/जिला/प्रदेश/ देश से जयपुर में शिक्षा ग्रहण हेतु आने वाले विजयवर्गीय छात्रों के उपयोग हेतु। ग–उपरोक्त उद्देश्यों के अन्तर्गत निर्धारित दर पर अन्य संस्थाओं द्वारा भी उपयोग किया जा सकेगा।
5ण	**सदस्य**	**<u>क– प्रथम श्रेणी</u>** – परिषद के ऐसे कार्यरत/सेवानिवृत्त सदस्य जिसने 1 लाख रूपये या इससे अधिक का अनुदान दिया हो, प्रथम श्रेणी के संगम परिषद के स्थाई सदस्य कहलायेंगे। **<u>ख– द्वितीय श्रेणी</u>** – परिषद के ऐसे कार्यरत/सेवानिवृत्त सदस्य जिसने 51 हजार या इससे अधिक किन्तु 1 लाख रूपये से कम का अनुदान दिया हो, द्वितीय श्रेणी के संगम परिषद के स्थाई सदस्य कहलायेंगे। **<u>ग–तृतीय श्रेणी</u>** परिषद के ऐसे अनुदानदाता जिन्होंने– क– सेवानिवृत्त राजसेवक के रूप में न्यूनतम 5100/– रूपये ख– कार्यरत राजसेवक के रूप में न्यूनतम 11000/– रूपये का अनुदान दिया है वे ''संगम'' परिषद के स्थाई सदस्य कहलायेंगे। –उपरोक्त क, ख की श्रेणी के किसी सदस्य द्वारा अपने परिवार के एक सदस्य को नामित करने पर अथवा उस सदस्य की मृत्यु हो जाने पर उसके परिवार का एक सदस्य उसी श्रेणी का स्थाई सदस्य कहलायेगा। इसके लिये परिषद का सदस्य होना अनिवार्य नहीं होगा। –क एवं ख श्रेणी के अनुदान 31मार्च, 2015 की अवधि तक मान्य रहेगा । इसके पश्चात 1लाख रूपये के स्थान पर–2लाख 51 हजार एवं 51 हजार रूपये के स्थान पर–1 लाख 51 लाख की राशि परिषद को जमा कराये जाने पर ही वह उस श्रेणी के स्थाई सदस्य बन सकेगा। –अनुदानदाता सदस्य द्वारा एक श्रेणी की सदस्यता ग्रहण कर लेने के बाद उसकी श्रेणी में परिवर्तन किया जा सकेगा। उसकी निर्धारित राषि में से पूर्व में दी गई राषि को समायोजित करते हुए निर्धारित समय सीमा में शेष राषि अनुदान में देकर उस श्रेणी की सदस्यता ग्रहण कर सकता है।
6ण	**संरक्षक मण्डल**	–प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के सदस्यों के सदस्य संगम परिषद के संरक्षक मण्डल के स्थाई सदस्य होंगे। –इसके अतिरिक्त विजयवर्गीय समाज के ऐसे अनुदानदाता जो 5 लाख या इससे अधिक का अनुदान देते है, भी संरक्षक मण्डल के स्थाई सदस्य होंगे। वह निर्वाचन प्रकिया में भाग ले सकेगा किन्तु वह किसी भी पद के लिये चुनाव नहीं

		लड सकेगा। –5 लाख अनुदान देने की समय सीमा 31 मार्च,2015 तक रहेगी उसके पश्चात् 7 लाख का अनुदान देने पर वह संरक्षक मण्डल का सदस्य बन सकेगा। –संरक्षक मण्डल नीति निर्धारण संबंधी निर्णयों के लिये सर्वोच्च बोडी कहलायेगी।
7ण	**संचालन समिति का स्वरूप एवं निर्वाचन**	''संगम'' के सुचारू संचालन हेतु ''संगम संचालन समिति'' का स्वरूप निम्नानुसार होगा– 1–संयोजक –1पद 2–सह–संयोजक –2पद 3–मंत्री –1पद 4–कोषाध्यक्ष –1पद 5–कार्यालय मंत्री –1पद 6–सदस्यगण –4पद 1– ''संगम संचालन समिति'' का संयोजक विजयवर्गीय (वैश्य) राजसेवक परिषद का निर्वाचित अध्यक्ष ही होगा। 2– ''संगम संचालन समिति'' के सह–संयोजक, मंत्री एवं कोषाध्यक्ष पदों का निर्वाचन संरक्षक मण्डल के प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के सदस्यों में से होगा। 3– ''संगम संचालन समिति'' के शेष पदों का निवार्चन सभी श्रेणी के संगम सदस्यों में से किया जावेगा।
8ण	**मताधिकार**	''संगम संचालन समिति'' के सभी सदस्य मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे परन्तु इनके मतों का वेटेज निम्नानुसार होगा– 1–प्रथम श्रेणी के सदस्य को 5 मत 2–द्वितीय श्रेणी के सदस्य को 2 मत 3–तृतीय श्रेणी के प्रत्येक सदस्य को 1 मत 4–अध्यक्ष, विजयवर्गीय (वैश्य) राजसेवक परिषद, जयपुर को 5 मत देने का अधिकार होगा।
9ण	**कार्यकाल**	संचालन समिति का 2 वर्ष का कार्यकाल होगा। निर्धारित अवधि में निर्वाचन प्रकिया नहीं अपनाने पर संरक्षक मण्डल स्वतः ही प्रभाव में आ जावेगा।
10ण	**निर्वाचन अधिकारी**	संरक्षक मण्डल के प्रथम/द्वितीय श्रेणी के सदस्यों में से किसी एक को निर्वाचन अधिकारी मनोनीत किया जा सकेगा, जो चुनाव में भाग नहीं ले सकेगा।
11ण	**स्थल उपयोग की प्राथमिकता**	परिषद के सभी अनुदानदाताओं जिन्होंने भूमि हेतु अनुदान दिया हो को, उनके परिवार के आयोजित कार्यक्रमों हेतु प्रथम प्राथमिकता होगी।
12ण	**संगम परिषद के सदस्यों को विशेष सुविधा**	1– ''संगम'' के ऐसे सभी सदस्यों अथवा उनके परिवारजन का निर्माण स्थल पर नाम अंकित किया जावेगा। 2– सभी ऐसे सदस्यों को बिन्दु संख्या 4 के अनुसार आयोजित होने कार्यक्रमों हेतु 70 प्रतिशत की छूट का प्रावधान होगा। 3– विजयवर्गीय (वैश्य) राजसेवक परिषद, जयपुर के सदस्यों को बिन्दु संख्या 4 के अनुसार आयोजित होने वाले कार्यक्रमों हेतु 50 प्रतिशत छूट का प्रावधान होगा। 3– संरक्षक मण्डल के क व ख श्रेणी के सदस्यों द्वारा समाज बन्धुओं के लिये अनुशंसा करने पर 40 प्रतिशत की छुट का प्रावधान होगा। **नोटः–उक्त छूट नगर निगम सफाई चार्जेज एवं विद्युत उपयोग खर्च पर लागू नहीं होगी।**
13ण	**विजयवर्गीय समाज के अनुदानदाताओं को विशेष सुविधा**	1– सभी ऐसे अनुदानदाता जिनके द्वारा 21 हजार या इससे अधिक राशि अनुदान में दी जाती है, निर्माण स्थल पर उनका अथवा उनके परिवारजन का नामकरण किया जावेगा। 2– **<u>5 लाख या इससे अधिक अनुदान राशि देने वाले अनुदानदाताओं को–</u>** क– ऐसे अनुदानदाता संचालन समिति के संरक्षक मण्डल के सदस्य होंगे। ख– सभी ऐसे अनुदानदाताओं को बिन्दु संख्या 4 के अनुसार आयोजित होने कार्यक्रमों हेतु 70 प्रतिशत की छूट का प्रावधान होगा। ग– समाज बन्धुओं के उपयोग हेतु सिफारिश करने पर निर्धारित शुल्क के 40 प्रतिशत तक की छुट का प्रावधान। ध– समाज बन्धुओं के अतिरिक्त अन्य के उपयोग हेतु सिफारिश करने पर

		निर्धारित शुल्क के 25 प्रतिशत तक की छुट का प्रावधान। **नोटः–उक्त छूट नगर निगम सफाई चार्जेज एवं विद्युत उपयोग खर्च पर लागू नहीं होगी।**
14ण	**कोष का संधारण**	– कोष ''संगम'' विजयवर्गीय (वैश्य) राजसेवक परिषद के नाम से बैंक में संधारित किया जावेगा। – बैंक के खाते का ''संगम संचालन समिति'' के संयोजक, मंत्री एवं कोषाध्यक्ष द्वारा किया जावेगा इनमें से दो के संयुक्त हस्ताक्षर अनिवार्य होंगे।
15ण	**आडिट प्रावधान**	समिति के लेखों का आडिट वर्ष में एक बार अंकेक्षण सानिधि (चार्टेड एकाउन्टेन्ट) से विजयवर्गीय (वैश्य) राजसेवक परिषद कार्यकारिणी के माध्यम से कराया जाकर इसे आम सभा के सम्मुख प्रस्तुत करना होगा। इसका वित्तीय वर्ष अप्रेल से शुरू होगा।
16ण	**निर्वाचन**	''संगम संचालन समिति'' का चुनाव विजयवर्गीय (वैश्य) राजसेवक परिषद, जयपुर के आगामी चुनाव के अधिकतम तीन माह में कराया जाावेगा।
17ण	**संशोधन/परिवर्धन का अनुमोदन**	1– ''संगम संचालन समिति'' द्वारा शुल्क आदि के निर्धारण एवं परिवर्तन स्वीकृत करके अनुमोदन हेतु विजयवर्गीय (वैश्य) राजसेवक परिषद को सूचित करेगी । परिषद कार्यकारिणी यदि उसमें संशोधन/परिवर्तन चाहती है तो वह अपने सुझाव सहित संचालन समिति को भेजेगी। संचालन समिति उस पर पुनः विचार करके परिषद कार्यकारिणी को अनुमोदन हेतु पुनः प्रेषित कर देगी जिसको कार्यकारिणी द्वारा स्वीकृत करना होगा। 2– समय समय पर संचालन समिति हेतु बनाये गये नियमों/उप नियमों में होने वाले संशोधन/परिवर्तन को अंगीकार कर विजयवर्गीय (वैश्य) राजसेवक परिषद, जयपुर की आमसभा को अनुमोदन हेतु भेजेगी।
18ण	**परिपत्र/आदेश**	संचालन समिति समय–समय पर आवष्यकतानुसार इन नियमों की पालना के लिए परिपत्र व आदेष जारी कर सकेगी जो सामुदायिक केन्द्र के सुचारू रूप से संचालन के लिए लागू होगें। साथ ही परिपत्र व आदेष की प्रतियाँ विजयवर्गीय (वैश्य) राजसेवक परिषद, जयपुर को सूचनार्थ भेजी जायेगी।
19ण	**अविष्वास प्रस्ताव**	क–संयोजक, संचालन समिति के विरूद्ध संरक्षक मण्डल सदस्यों द्वारा अविष्वास प्रस्ताव रख सकेंगे। ख–अविष्वास प्रस्ताव 1/3 समिति सदस्यों के हस्ताक्षरों से प्रस्तुत किया जा सकेगा। निर्णय 2/3 मतों पर ही पारित होगा। ग– अगला अविश्वास प्रस्ताव 6 माह तक नहीं लाया जा सकेगा।
20ण	**त्याग–पत्र**	क– संयोजक, संचालन समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के त्याग पत्र स्वीकार कर संरक्षक मण्डल नये सदस्यों का मनोनयन कर सकेगा। ख– संयोजक का त्याग पत्र सरंक्षक मण्डल की सहमति से स्वीकार किया जावेगा।
21ण	**अनुषासनहीनता एवं उस पर कार्यवाहीः**	क– संचालन समिति के प्रत्येक सदस्य को अनुषासनबद्ध रहना आवष्यक होगा। ख– प्रतिकूल आचरण करने अथवा आर्थिक या अन्य प्रकार से हानि पहुंचाने की दृष्टि से किसी भी प्रकार का कार्य, गलत विचार, भाषण, पेम्पलेट एवं अन्य विघटनात्मक कार्य, संघीय राषि का गबन या दुरूपयोग अनुषासनहीनता की परिभाषा में आता है। ग– किसी भी सदस्य/पदाधिकारी के अनुषासनहीनता के कारण उसकी सदस्यता से निलम्बित/निष्कासन/पदमुक्त किया जा सकेगा। घ– निष्कासन का सम्पूर्ण अधिकार संचालन समिति की आम सहमति से पुष्टि प्राप्त कर, प्रस्ताव को संयोजक के पास अनुमोदन हेतु भिजवायेगा। इस पर संयोजक उसको सुनवाई का मौका यदि वे देना उचित समझे तो देकर पन्द्रह दिन में अपना स्पष्टीकरण देने को कहेंगे तत्पष्चात (संयोजक) उसकी सदस्यता समाप्ति की घोषणा करेंगे तब सदस्यता समाप्त समझी जावेगी। यदि संयोजक को निलम्बित सदस्य का स्पष्टीकरण संतोष जनक लगेगा तो वे उसका निलम्बन समाप्त घोषित कर देंगे और वह सदस्य अपने पूर्वानुसार पदधारित करता रहेगा। ड– जिस सदस्य की संचालन समिति की बैठक में अनुसानिक कार्यवाही का

		मामला रखा जाता है और यदि वह उसमें उपस्थित है तो उसे अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अपने समर्थन में बोलने का मौका उसी बैठक में दिया जावेगा।
22ण	**परिषद विधानान्तर्गत**	''संगम संचालन समिति'' विजयवर्गीय (वैश्य) राजसेवक परिषद के पंजीकृत विधान के अन्तर्गत कार्य करेगी।
23ण	**न्यायिक क्षेत्र**	क– समस्त विवादों का न्यायिक क्षेत्र जयपुर रहेगा। ख– संचालन समिति के किसी भी पदाधिकारी को किसी भी न्यायालय में चुनौती देने का हक नहीं होगा। यानि समिति के किसी भी कार्य/निर्णय को लेकर कोई भी न्यायिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी। यदि समिति के किसी सदस्य को समिति द्वारा लिये गये किसी निर्णय से षिकायत है या वह उससे सहमत नहीं हो तो वह इसके संबंध में संयोजक, से लिखित में इस निर्णय में परिवर्तन हेतु आग्रह कर सकेगा। संयोजक इसे समिति को पुनः विचार हेतु भिजवा सकेगा लेकिन अन्तिम निर्णय संचालन समिति का होगा।

अधिकार एवं कर्तव्य

1	**संरक्षक मण्डल के कर्त्तव्य व अधिकार**	– संचालन समिति की गतिविधियों का दृष्टि रखना। – ''संगम'' के सुचारू संचालन हेतु नीतिगत निर्णय लेना। – संचालन समिति के समय पर निर्वाचन कराया जाना सुनिश्चित करना। – समिति के समय पर निर्वाचन नहीं होने की स्थिति में समिति का संचालन करना। – समिति के संयोजक के प्रति अविश्वास प्रस्ताव पर विचार–विमर्श कर उचित निर्णय लेना।
2	**संयोजक के कर्त्तव्य व अधिकार**	(क) संचालन समिति की सभाओं का संचालन करना। (ख) संचालन समिति में प्रस्ताव पर निर्णय हेतु समान मत आने पर अतिरिक्त मत देने का अधिकार होगा। (ग) गत सभा की कार्यवाही एवं मासिक आय–व्यय लेखे पर संचालन समिति के समर्थन के पश्चात् हस्ताक्षर करना होगा। (ड) संस्था के तत्वावधान में जो भी कार्य हो उन समस्त कार्यो की समीक्षा करना होगा और संस्था की निर्धारित नीति का अनुकरण करना होगा। (च) संस्था के वैतनिक कर्मचारियों को नियमबद्ध व अनुषासित करना होगा। (छ) दोषी कर्मचारी को उसके दोष के पूर्ण अनुसंधान के पश्चात् आर्थिक दंड देने तथा अस्थायी पृथक्करण करने का अधिकार होगा। स्थायी पृथक्करण के लिये संचालन समिति की स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। (ज) समिति द्वारा स्वीकृति कर्मचारियों के स्थान पूर्ति करके समिति को अवगत कराना होगा तथा नये स्थान की स्वीकृति स्थान पूर्ति से पूर्व लेनी होगी। (झ) समिति की सभा में यदि किसी सदस्य का भाषण अनुचित हो अथवा उसका व्यवहार दोषपूर्ण हो तो उसको, उसके प्रति क्षमा–याचना करने, अपने शब्द वापिस करने अथवा आज्ञा अस्वीकार करने पर सभा स्थान छोडने का आदेष अध्यक्ष दे सकेगा। उस सदस्य को संयोजक की आज्ञा का पालन करना होगा। (ञ) संस्था के आय–व्यय संतुलन का ध्यान रखना होगा। (ट) संस्था के निमित्त स्वाधिकार से एक वर्ष में 50000/– तक के व्यय की स्वीकृति दे सकेगा।

3	**सह–संयोजक के कर्त्तव्य व अधिकार**	संयोजक को आवष्यकतानुसार सहयोग देना होगा तथा उसकी अनुपस्थिति में उसका कार्य करना होगा।
4	**मंत्री के कर्त्तव्य व अधिकार**	–संस्था के प्रमाण–पत्रों व अन्य महत्वपूर्ण पत्रों को बैंक में तथा अन्य लिखित पत्रों को कार्यालय में सुरक्षित रखना होगा। –संस्था संबंधी पत्र–व्यवहार करना होगा। –सभी के परामर्ष के साथ संस्था के वार्षिक आय–व्यय के काल्पनिक संख्या पत्र की रचना करके उसको बैठक में सदस्यों के विचारार्थ उपस्थित करना एवं समर्थन प्राप्त करना होगा। –प्राप्त आवेदन–पत्रों तथा आंगतुक प्रस्ताव आदि को समिति की बैठक में प्रस्तुत करना होगा। –संस्था संबंधी बिलों को संयोजक अथवा समिति की स्वीकृति अनुसार कोषाध्यक्ष के माध्यम से चुकाना होगा। –संस्था के निमित्त स्वाधिकार से 10000/– रू तक व्यय की स्वीकृति दे सकेगा। –वैततिक कर्मचारियों को नियमबद्ध रखना होगा तथा दोषी को चेतावनी दे सकेगां। – गंभीर समस्याओं को संयोजक के समक्ष रखना होगा। – बैंक से समिति तथा अध्यक्ष के आदेषानुसार व्यवहार करना होगा। – संस्था की प्रगति का पूर्णतया ध्यान रखते हुये त्रुटियों के सुधार का प्रयत्न करना होगा। – संस्था के कार्यो के प्रति आपत्ति आने पर उस पर संयोजक का तत्काल ध्यान आकर्षित कराना होगा। – हिसाबी वर्ष अप्रैल से मार्च तक के लेखों का यथाषीघ्र अंकेक्षण (ऑडिट) करा कर समिति को सूचनार्थ प्रस्तुत करना होगा। – भवन को सुव्यवस्थित रखना तथा आवष्यकता होने पर परिवर्तन या परिवर्धन, संबंधी सुझाव संचालन समिति में रखना एवं स्वीकृति प्राप्त होने पर सम्पादन कराना होगा। – विभिन्न कार्यक्रमों के लिये स्थानादि की सुव्यवस्था करनी होगी। – भवन संबंधी कर्मचारियों को सुव्यवस्थित रखना होगा। दोषी की सूचना संयोजक को देकर उचित कार्यवाही करानी होगीं। – भावी निर्माण कार्य का निरीक्षण एवं लेखा रखना होगा। व्यय आदि समिति की आज्ञानुसार करना होगा। – नवीन सुझाव समिति के समक्ष रखने होंगे। – भवन का किराया आदि वसूल करके अर्थ मंत्री के पास जमा कराना होगा। – समिति के आदेषानुसार भवन का उपयोग होता रहे इसका ध्यान रखना होगा। –संस्था के भवन पर किसी पडौसी या अन्य व्यक्ति द्वारा अनाधिकृत कब्जा, तामीरात आदि को रोकना होगा। अगर आवष्यक हो तो कानूनी कार्यवाही समिति की अनुमति से तत्काल करना जिसके लिये कानूनी सलाहकार की सेवाएं संस्था के खर्चे से प्राप्त करने का अधिकार होगा।
5	**कोषाध्यक्ष के कर्त्तव्य व अधिकार**	– संस्था के निमित्त अर्थ संग्रह करना। – अर्थ वृद्धि का सतत् प्रयत्न कराना होगा। – आर्थिक सहायता देने वालों का सूची–पत्र विगतवार रखना होगा। – संग्रहित धन को समय पर बैंक में जमा करवाना।

		– आर्थिक स्थिति से समय समय पर संयोजक एवं मंत्री को अवगत करना। – मासिक एवं वार्षिक विवरण बनाना होगा। – वचन भंग करने वाले तथा विलम्ब करने वाले दाताओं को प्रेरणा से सुमार्ग पर लाने का प्रयत्न करा तथा संयोजक को अवगत कराना होगा। – आगामी वर्ष की अनुमानित आय–व्यय की रचना करके मंत्री के माध्यम से समिति से स्वीकृत कराना होगा। – लेन–देन स्वीकृति के पत्र समिति के निर्णयानुसार कार्यान्वित करना होगा। –संस्था की आय–व्यय का लेखा पूर्णतया रखना होगा वर्षान्त पर वार्षिक लेखा बनाकर उसकी जांच प्रमाणित लेखा अंकेक्षक द्वारा कराकर उसका प्रमाण–पत्र लेखे सहित संयोजक के पास उपस्थित करना होगा। मासिक लेखे पर संयोजक के हस्ताक्षर भी होंगे। – व्यय के निमित्त स्वीकृति के आधार पर रूपया निकालना । – लेन–देन, स्वीकृति आदि लिखित पत्रों द्वारा कार्यान्वित करना होगा। – 25000/–रूपये तक की राशि अपने पास रखने एवं अतिरिक्त प्राप्त राशि 5 दिन की अवधि में बैंक में जमा कराना होगा।
6	**सदस्यों के कर्त्तव्य व अधिकार**	–समिति में प्रत्येक उपस्थित विषय का पूर्णतया विचार – विमर्ष एवं अनुसंधान करने के पश्चात् पक्षपात रहित शान्त और स्वस्थ चित्त से संस्था का हित सर्वदा समक्ष रखते हुये न्याय–संगत निर्णय देना होगा। जिससे संस्था एवं तत्सम्बन्धी व्यक्तियों का किसी प्रकार अनहित न हो सके और कार्य– संचालन में बाधा न हो। – समिति में सबको परस्पर सम्मान, सद्व्यवहार एवं प्रेम के साथ कार्य करना होगा और संयोजक की आज्ञा का पालन करना होगा। – संस्था के निर्धारित नियमों का सर्वथा पालन करना होगा। उल्लंघन करने वाले को उपस्थित सदस्यों के सामूहिक निर्णय का पालन करना होगा। – प्रत्येक सदस्य व्यक्तिगत मत दे सकेगा और नियमानुसार प्रस्ताव कर सकेगा। – कोई सदस्य न रहना चाहे तो उसको लिखित त्यागपत्र समिति में देना होगा और उसका निर्णय प्राप्त करके पृथक हो सकेगा। – परस्पर सहयोग की भावना हृदय में रखकर कार्य करना होगा।